न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निशल संख्याः– 475 / 2018 निर्णय दिनांक :–29.11.19

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. शंकरलाल पुत्र काना जाति धाकड निवासी गुराई तसहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. बदरीलाल पुत्र काना जाति धाकड निवासी गुराई तसहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. विमल पुत्र काना जाति धाकड निवासी गुराई तसहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. रामनिवास पुत्र किशना जाति धाकड निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
2. प्रेम पुत्री किशना जाति धाकड निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
3. प्रसन्न पुत्री किशना जाति धाकड निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
4. प्रभू पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
5. हेमराज पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
6. पप्पू पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
7. फुलां पुत्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
8. बसंती पत्नि जगन्नाथ जाति धाकड निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
9. तहसीलदार दूनी
10. उप पंजीयन दूनी
11. बैंक ऑफ बडौदा शाखा पलाई तहसील उनियारा जरिये प्रबन्धक

–प्रतिवादीगण–

–उपस्थिति –
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री राजेन्द्र जैतरवाल
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आरजी ख0नं0 साबिक 593 रकबा 21 बीघा ग्राम गुराई तहसील देवली किशना, जगन्नाथ, काना, पि0 चन्द्रा कोम धाकड निवासी गुराई के नाम खातेदारी दर्ज थी जो सम्वत् 2025 से 2028 की जमाबन्दी मे अंकित है उक्त 21 बीघा भूमि पर चन्द्रा के तीनो पुत्रो का बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक का 7–7 बीघा पर बहेसियत खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा उन तीनो के देहान्त के बाद से लेकर आज तक उनके

वारिसान का भी उसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, किशना, जगन्नाथ, काना तीनो मर चुके है जिसमे से काना के वारिसान, प्रार्थीगण, किशना के वारिसान प्रतिपक्षगण नं0 1 ता 3 व जगन्नाथ के वारिसान के प्रतिपक्षीगण नं0 4 ता 8 है।

उक्त वादग्रस्त भूमि का मूल खातेदार व उनके वारिसान के मध्य बहिस्सा बराबर व मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा हो चुका है एवं सेटलमेंट के समय उक्त वादग्रस्त आराजी का निम्नलिखित रूप से खसरा नम्बर बनाये गये है:– साबिक ख0नं0 593/1 मिन हाल ख0नं0 1044 रकबा 1.74 है0, साबिक ख0नं0 593/2 मिन हाल ख0नं0 1049 रकबा 1.56 है0, साबिक ख0नं0 593/3 मिन हाल ख0नं0 1044/1909 रकबा 0.45 है0, साबिक ख0नं0 593 मिन हाल ख0नं0 1044/1910 रकबा 0.50 है0, साबिक ख0नं0 593 मिन हाल ख0नं0 1049/1911 रकबा 1.35 है0। उपरोक्त वर्णित हाल खसरा नम्बरान के स्थान पर पुनः नये नम्बरान बनाये गये है जो सम्वत् 2066 से 2069 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध मे बनाये गये है जो निम्न प्रकार है:– हाल ख0 नं0 424 रकबा 0.45 है0 वर्तमान ख0 नं0 1044/1909 रकबा 0.45 है, हाल ख0 नं0 426 रकबा 1.74 है0 वर्तमान ख0 नं0 1044 रकबा 1.74 है, हाल ख0 नं0 425 रकबा 0.50 है0 वर्तमान ख0 नं0 1094/1910 रकबा 0.50 है, हाल ख0 नं0 450 रकबा 1.55 है0 वर्तमान ख0 नं0 1049 रकबा 1.56 है, हाल ख0 नं0 451 रकबा 1.35 है0 वर्तमान ख0 नं0 1049/1911 रकबा 1.35 है। वर्तमान जामबन्दी मे उपरोक्त वर्णित मूल खातेदारान के वारिसान के उक्त वर्णित वर्ममान खसरा नम्बरान निम्न प्रकार से खातेदारी मे दर्ज किये गये:– शंकर, बदरी, विमल पिता काना कोम धाकड के खसरा नम्बर 424 रकबा 0.45 है, खसरा नम्बर 451 रकबा 1.35 है कुल 1.80 है0 दर्ज किये गये। प्रभू, हेमराज, पप्पू, पिसरान जगन्नाथ, फूलां, पत्नि जगन्नाथ बसंती पत्नि जगन्नाथ जाति धाकड की खातेदारी मे उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान मे से ख0नं0 426 रकबा 1.74 है0 अंकित किया गया। रामनिवास पुत्र किशना, प्रेंम–प्रसन्न पुत्रिया किशना की खातेदारी मे ख0नं0 425 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 450 रकबा 1.56 है0 कुल 2.06 है0 अर्थात 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि अंकित की गई है। पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार मूल खातेदार किशना, जगन्नाथ, काना के वारिसान के नाम कुल 21 बीघा मे से 7–7 बीघा जमीने ही दर्ज रिकार्ड की जानी चाहिए एवं इसी के अनुसार नक्शा शीट मे वर्तमान खसरा नम्बरान की तरमीन की जानी चाहिए परन्तु जगन्नाथ के वारिसान को 1.75 है0 के स्थान पर 1.80 है0 दर्ज करदी गयी इस प्रकार 5 ऐयर भूमि अधिक दर्ज करदी गयी। इसी प्रकार से प्रतिपक्ष रामनिवास, प्रेंम, प्रसन्न पुत्रिया किशना की खातेदारी मे 1.75 है0 के स्थान पर 2.06 है0 भूमि दर्ज करदी गयी जो मूल व वास्तविक रकबे से 1 बीघा 6 बिस्वा अधिक है। मूल पुराने खसरा नम्बर 593 का कुल रकबा 21 बीघा था जिसकी पुरानी शीट मे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कोई तरमीम नही की गयी तथा बाद मे अलग–अलग बटा नम्बरान की सेटलमेंट विभाग द्वारा सम्वत् 2066 से

नये ख0नं0 424, 426, 425, 450, 451 की नयी तरमीम की गयी जो तरमीम मौके की जो तरमीम मौके की वासविक स्थिति के विपरित की गई है। प्रतिपक्ष न0 1 ता 3 रामनिवास आदि को सेटलमेंट मे ख0नं0 450 रकबा 1.56 है0 व ख0नं0 425 रकबा 0.50 है0 भूमि दी जाकर उसका रकबा वास्तविक रकबे से 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि बढायी गई एवं वर्तमान शीट मे इस बढे हुऐ रकबे को नये ख0नं0 450 मे मिला दिया तथा ख0नं0 450 का बढाया हुआ रकबा भूमि की मौके पर स्थिति की तरमीम ख0नं0 451 की मौके पर स्थित भूमि मे कर दी गयी इस प्रकार सेटलमेंट द्वारा की गई तरमीम मे प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 451 की गलत रूप से ख0नं0 450 मे शामिल करदी गयी जबकि मौके पर प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से ही काबिज चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य अपने–अपने खेतो की मेर बन्दी हो रखी है।

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि जिस पर प्रार्थी वर्षो से काबिज चला आ रहा है जिसे प्रार्थीगण ने वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शे की मार्क ए–बी–सी–डी–से दर्शाया है आज से 22 वर्षो पहले ही प्रार्थीगण ने इसमे कुंआ खुदवाया और लाखो रूपये खर्च करके खुदवाया है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण वर्षो से अपनी भूमि मे सिंचाई करता आ रहा है परन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा की गयी गलत तरमीम के कारण प्रार्थीगण कुआं व उसकी खातेदारी का हक व हिस्सा प्रतिपक्षगण के हिस्से मे दर्शा दिये जाने के कारण अब प्रतिपक्षीगण की नियत मे बेईमानी आ गयी है और वह प्रार्थीगण के कुऐ व उसकी भूमि को हडपने पर आमादा है इस कारण प्रतिपक्षी नं0 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण को अपार हानि होगी, दोनो पक्षों मे झकडे होगें तथा कई प्रकार के मुकदमे बाजी मे उपझना पडेगा।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजेन्द्र जैतरवाल अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 मे प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वाद पेश करना स्वीकार है, परन्तु प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कोई संभावना नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के पक्ष मे प्रबल व सिद्ध है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 593 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा मे से 21 बीघा भूमि वाके तनग्राम गुराई मे स्थित है, को अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के पिता किशना व किशना के भाई जगन्नाथ द्वारा जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.05. 1969 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। जिस पर प्रार्थीगण व इनके पिता काना का कोई लेना–देना नही था। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 मे वर्णित सजरा स्वीकार है, तथा चन्द्रा के तीन पुत्र किशना, जगन्नाथ काना होना स्वीकार है, शेष कथन गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 593 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा मे से

21 बीघा पर प्रार्थीगण व इनके पिता काना का कभी भी कब्जा–काश्त नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 मे टेबल के अनुसार खसरा नम्बर का वर्णन किया गया है, स्वीकार है, शेष कथन गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त नही है। चूंकि अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के पिता किशना व किशना के भाई जगन्नाथ की साबिक खसरा नम्बर 593 मिन मे 27 बीघा 4 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 1044 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 1049 रकबा 1.56 है0, खसरा नम्बर 1044/1909 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1044/1910 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 1049/1911 रकबा 1.35 है0, बना दिये गये। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने उपरोक्त वर्णित आराजीयात जो अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के पिता किशना व जगन्नाथ क खरीदशुदा भूमि को प्रार्थीगण के पिता काना का भी नामान्तकरण खोल दिया जो जिसका कि उनको कोई वैधानिक अधिकार नहीं था प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 में बनाई गई खसरा नम्बर की टेबल में हाल खसरा नम्बर 450 रकबा1.56 हे0 जिसके हाल खसरा नम्बर 1049 रकबा 1.56 है0 अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 की खातेदारी में दर्ज है चुकि साबिक खसरा नम्बर 593 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा अप्रार्थीगण नम्बा 1 ता 3 के पिता किशना व जगन्नाथ की खरीदशुदा कृषि भूमि होने से 1/2 हिस्से में दर्ज होनी थी।। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की एवं प्रार्थीगण के पिता काना की मिलीभगत होने के कारण 1/2 की जगह 1/3 हिस्सा दर्ज कर उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता काना का नाम दर्ज कर दिया जो अवैधानिक है। प्रार्थना पत्र का चरण नं.6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है पूर्णत्या गलत है, अस्वीकार है। चूंकि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता किशना व भाई जगन्नाथ द्वारा खरीदी गई आराजीयात का 1/2 हिस्सा दर्ज नही किया बल्कि काना को अविधिक रूप से उक्त भूमि का खातेदार दर्ज कर 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया है जो कि गलत है प्रार्थीगण द्वारा उपराक्त वाद वर्णित आराजीयात साबिक खसरा नमबर 593 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा में से 21 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 450, 451 , 424, 425, 426 का पेश किया है जो कि अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 8 के पिता जगन्नाथ द्वारा रजि0 विक्रय पत्र खरीदशुदा कृषि भूमि होने से अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण नम्बर 4 ता 8 को 1/2 हिस्सा है। इसलिए पेरा संख्या 5 में रामनिवास पुत्र किशना,प्रेम , प्रसन्न पुत्रिया किशना की 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अधिक होने का प्रश्न ही नही था। इसलिए उपरोक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही होने से दावा चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं.7 जिस प्रकार वर्णित किया गया है पूर्णतया गलत है अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1/3 के पिता किशना एवं अप्रार्थीगण नम्बर 4 ता 8 के पिता जगन्नाथ द्वारा जरिए रजि0 विक्रय पत्र खरीदशुदा कृषि भुमि होने से अप्रार्थीगण नम्बा 4 ता 8 को 1/2 हिस्सा है । इस प्रकार उक्त भूमि पनर काना पव काना के वारिसान प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है। इस लिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही

है। प्रार्थना पत्र का चरण नं.8 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। साबिक खसरा नम्बर 593 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा में से 21 बीघा अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता किशना व अप्रार्थीगण नम्बा 4 ता 8 के पिता जगन्नाथ की खरीदशुदा भूमि है जिसमें प्राथीगण का कोई लेना देना नही है और प्रार्थीगण के पिता व काना व प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 9 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है साबिक खसरा नम्बर 593 हाल खसरा नम्बर 450, 451 पर प्रार्थीगण का काई लेना देना नही है । इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 खसरा नम्बर 450 रकबा 1.56 है0 व खसरा नम्बर 425 रकबा 0.50 हे0 भूमि में से 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि को वर्तमान में सीट में खसरा नम्बर 450 मिला देने के तथ्य गलत है। चूंकि उपरोक्त सम्पूर्ण आराजीयात अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता किशना व अप्रार्थीगण नम्बर 4 ता 8 के पिता जगन्नाथ की खरीदशुदार भूमि होने से प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही है, परन्तु प्रार्थीगण के मन में बदनियति आने के कारण उपरोक्त यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थीगण ने केवल मात्र अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 8 के पिता किशना व जगन्नाथ द्वारा खरीदशुदा भूमि का वाद पत्र पेश किया है जो कि गलत है बल्कि बंटवारें के दावे में अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण अन्य सम्पूर्ण आराजीयात को शामिल नही कर न्यायालय वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त ख. नं. 450 में स्थित कुंआ अप्रार्थीगण ने खुदवाया है जबकि वास्तविकता में यह कुंआ ख. नं. 451 में है परन्तु सेटलमेन्ट के बाद तरमीम गलत होने से यह कुंआ ख. नं. 450 में आ गया जबकि यह कुंआ ख. नं. 451 में स्थित था जिसका नाजायज फायदा वादीगण उठाकर प्रतिवादीगण को इस कुंए का सिंचाई के रूप में उपयोग उपभोग नही करने देना चाहते है। यदि प्रतिवादीगण अपनी फसलो की सिंचाई नहीं कर पाये तो उनकी खेत पड़त रह जायेंगे जिससे उनको भारी नुकसान होगा। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि ख. नं. 450 प्रार्थी के हिस्से की भूमि है और बंटवारे के समय से ही उक्त भूमि को प्रार्थीगण ही कब्जेकाश्त करता आ रहा है। प्रार्थीगण ने ख. नं. 450 में स्थित कुंए को खुदवाया है परन्तु अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आने के कारण प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त में मज़ामहत करने लगे है और कुएं पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित है, नैतिकता से परे है। इस बाबत पुलिस थाना नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी है परन्तु अप्रार्थीगण धनबलशाली व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति होने के कारण प्रार्थीगण को मारपीट कर उक्त भूमि से बेदखल करना

चाहते है जो अनैतिक व अमानवीय है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने रिब्टल में कथन किया कि अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि कुंआ अप्रार्थीगण ने खुदवाया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के अनुसार ख. नं. 451 रकबा 1.35 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने के करण अप्राथीगण संख्या 1 ता 5 को पाबन्द करवाने के हकदार है। अतः अप्रार्थीगण 1 ता 5 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या 389 ख0नं0 451 रकबा 1.35 है0 भूमि में स्थित प्रार्थीगण की चाह वाके तनग्राम गुराई तहसील दूनी प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग, फसल काश्त करने, हांकने जोतने व कुंए में सिंचाई करने में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी प्रकार से या अन्य माध्यम से करावे। ताफैसलावाद पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मुल दावे के पृष्ठ में संलग्न हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली